भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 151

(जिसका उत्तर मंगलवार, 08 जुलाई, 2014 को दिया गया)

कारपोरेट क्षेत्र के सामाजिक दायित्व के क्रियाकलापों के अंतर्गत खेलकूद को शामिल किया जाना

151. श्री अविनाश राय खन्ना :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान कारपोरेट क्षेत्र के सामाजिक दायित्व के अंतर्गत कंपनी-वार कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) किस परियोजना पर धनराशि खर्च की जाती है और इसके क्या परिणाम निकलते हैं;

(ग) क्या सरकार कारपोरेट क्षेत्र के सामाजिक दायित्व के अंतर्गत खेलकूद को शामिल करने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्रीमती निर्मला सीतारमण)**

(क) और (ख) : कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के उपबंध हाल ही में अर्थात् 01.04.2014 से लागू हुए हैं। कारपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत कंपनियों द्वारा व्यय की गई राशि से संबंधित ब्यौरे कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय के अनिवार्य प्रकटीकरण के पश्चात् ही उपलब्ध होंगे, जो वित्त वर्ष 2014-15 की समाप्ति के छः माह के भीतर प्रकट किए जाएंगे।

(ग) और (घ) : कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII, जिसमें कारपोरेट सामाजिक दायित्व कार्यकलापों की सूची दी गई है, में 'ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालिंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण' शामिल हैं।

*****